कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन
संचालनालय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष)
इन्द्रावती भवन, तृतीय तल ब्लॉक-1 अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़
दूरभाष क्रमांक0771-2995568 ई-मेल-cgnamoffice@gmail.com

विज्ञापन के नियम एवं शर्ते

आवेदन संबंधी दिशा-नेर्दिश :-

1. **दिनांक 22-07-2026 से 14-08-2026 रात्रि 23:59 बजे तक** विभाग के वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** एवं **http://ayush.cg.gov.in** के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है।
2. सभी पद पूर्णतः संविदा है, जो राष्ट्रीय आयुष मिशन, संचालनालय आयुष छ.ग. द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2019 के अधीन है।
3. आवेदन- आवेदन ऑनलाईन के माध्यम से लिया जावेगा एवं आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिये गये दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह से अध्ययन करें।
4. अभ्यर्थी अपने मोबाईल नंबर के माध्यम से ऑनलाईन पंजीयन करेंगे। तत्पश्चात पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड अभ्यर्थी के मोबाईल नंबर पर प्राप्त होगा, पंजीयन नंबर एवं पासवर्ड का उपयोग कर लॉगिन करेंगे एवं अपना आवेदन प्रविष्ट करेंगे।
5. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से प्रविष्ट करने के पश्चात जमा (Submit) करेंगे तथा भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकालकर स्व-हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
6. स्व-हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करने के पश्चात आवेदकों को पावती प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जिसे दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय समस्त अनिवार्य दस्तावेज (शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन काउंसिलिंग पंजीयन एवं अन्य अर्हता) के अनुसार विवरण प्रविष्ट किया जाना अनिवार्य होगा। ऑनलाईन आवेदन के समय सत्यापित अनुभव प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा। शेष प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं करना होगा, किन्तु उक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर ही ऑनलाईन आवेदन में जानकारी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा जिसका सत्यापन कौशल परीक्षा/साक्षात्कार से पूर्व दस्तावेज परीक्षण में आवेदकों के समस्त दस्तावेजों का सूक्ष्म परीक्षण किया जावेगा।
8. दस्तावेजों परीक्षण/सत्यापन के समय ऑनलाईन भरे हुए आवेदन एवं प्रस्तुत किये गये संबंधित दस्तावेज के विवरण में असमानता पाये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की अवस्था में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त किया जा

सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

9. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई अथवा संबंधित काउंसिल से पंजीयन/मान्यता, विज्ञापन की अंतिम तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य होगा।
10. विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित समस्त शैक्षणिक योग्यता कार्य अनुभव तथा समस्त पंजीयन जारी विज्ञापन के अंतिम तिथि के पूर्व का होना अनिवार्य है।
11. जिन पदों की शैक्षणिक योग्यता या अंकसूची में ग्रेड अंकित हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अपने शिक्षण संस्था प्रमुख/ प्राचार्य के द्वारा प्राप्तांक एवं पूर्णांक गणना अंकों (प्रतिशत सहित) में कराकर ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य होगा तथा दस्तावेज परीक्षण के समय उक्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन अमान्य कर अपात्र किया जावेगा।

आयु सीमा :-

1. 01 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष होना चाहिए। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जावेगी।

भर्ती प्रक्रिया :-

1. प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत दावा आपत्ति हेतु पात्र-अपात्र अभ्यर्थियों की सूची, सूचना एवं अन्य निर्देशों का प्रकाशन विभाग की वेबसाईट **www.cghealth.nic.in** एवं **http://ayush.cg.gov.in** में पृथक से किया जावेगा। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से कोई भी सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों की जन्म तिथि पहले होगी (उम्र में बडे होंगे) उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावगी। उम्र की गणना 01 जनवरी 2026 के आधार पर की जावेगी।
3. दावा आपत्तियों में किसी भी प्रकार का नवीन दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर दावा आपत्ति निराकरण की कार्यवाही की जावेगी एवं दावा आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि की सुधार किया जायेगा। सत्यापन के समय किसी भी मूल दस्तावेज के अभाव में साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
4. दावा आपत्ति हेतु अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पोर्टल में लॉग-इन कर चयन समिति द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप में ही दावा आपत्ति कर निर्धारित तिथि तक

आवेदन करना अनिवार्य होगा।

5. उक्त भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों की योग्यता के आधार पर पात्र/अपात्र करने का अधिकार सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, राज्य आयुष सोसायटी एवं संचालक आयुष छ.ग. का होगा।
6. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंकों (20 अंक) का 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में न्यूनतम अंक (06 अंक) प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अपात्र रहेंगे।
7. साक्षात्कार के समय निम्न दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्व प्रमाणित 02 सेट छायाप्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना अनिवार्य होगा :-

- 10वीं की अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- 12वीं की अंकसूची
- स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षो की अंकसूची।
- संबंधित डिग्री।
- संबंधित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)।
- पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम पता फोटो हो)
- अनुभव प्रमाण-पत्र।
- अनापत्ति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो)
- अन्य संबधित दस्तावेज।
- अभ्यर्थी यदि दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र/पहचान पत्र (यू.डी.आई.डी.) मेडिकल बोर्ड से 40 प्रतिशत से अधिक का जीवित दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

8. विज्ञापन की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य आर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है। इसके उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई भी अन्य प्रमाण पत्र/दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा और न ही इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा। अत: विज्ञापन अनुसार निर्धारित आर्हता को सिध्द करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
9. अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावेगा।
10. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदन/निवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

चयन प्रकिया :-

1. विभिन्न पदों हेतु निर्धारित चयन की प्रक्रिया:-

क्र.	पद	निर्धारित चयन प्रक्रिया	रिमार्क
अ	आयुष चिकित्सक (ग्रेजुएट-आयुर्वेद)	स्नातक परीक्षा के सभी वर्षो के प्राप्तांक का(65%) साक्षात्कार- 20 अंक अनुभव- 15 अंक अधिकतम	रा.आ.मि. में कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रत्येक वर्ष पर 03 अंक, अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 02 अंक, अधिकतम 10 अंक

2. अनुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापित पद से संबंधित होने की दशा में ही मान्य किया जावेगा।
3. अनुभव प्रमाण-पत्र शासकीय अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के कार्य अनुभव (जो विज्ञापित पद से संबंधित हों) को मान्य करते हुए अनुभव के अंक प्रदान किये जावेंगे। मान्यता प्राप्त निजी संस्थान से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हें अनुभव अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
4. अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने तथा कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जावेगी। अनुभव में अंको की गणना एवं एक संस्था में एक पद पर 12 माह पूर्ण होने पर ही एक वर्ष का अंक दिया जावेगा। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंको की गणना नहीं की जावेगी।
5. प्राप्त आवेदनों में से रिक्तयों के आधार पर निम्न तालिका में दिये अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन/परीक्षा/चयन तथा साक्षात्कार हेतु आहुत किया जावेगा।

क्र0	**कुल विज्ञापित पदों की संख्या**	**स्क्रीनिंग/साक्षात्कार लिये जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या**
1	01 से 10	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना (अधिकतम)
2	11 से 50	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना (अधिकतम)

3	50 से अधिक	कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 3 गुना (अधिकतम)

6. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित 02 छायाप्रति के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
7. शासकीय /अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी भी प्रकार का ओवराइटिंग/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में अमान्य कर दिया जावेगा।

प्रतीक्षा सूची:-

1. समस्त पदों के लिए प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी जिसकी वैधता जारी दिनांक से एक वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होने तक जो पहले हो तक रहेगी। इस समयावधि में त्यागपत्र देने से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची से नवीन भर्ती मानकर आरक्षणवार प्रतीक्षा सूची से भरा जा सकेगा, तथा पदभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रवर्गवार प्रतीक्षा सूची से ली जावेगी। प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के 25 पदों तक 200 प्रतिशत, 26 से 50 पदों हेतु 150 प्रतिशत, 50 से अधिक पदों हेतु 100 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद तत्काल भरे जा सके।

भर्ती के संबंध में अन्य शर्ते :-

1. मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जावेगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। चयन के पश्चात् भी किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/प्रमाण पत्र या अन्य त्रुटि दोनों पक्षों से (किसी भी पक्ष की ओर से) पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार सेवा से पृथक किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
2. शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है, उस संस्था का यू.जी.सी. ए.आई.सी.टी.ई. एवं संबंधित कौंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।
3. संविदा मानदेयः- संविदा सेवा अवधि की दौरान प्रतिमाह एकमुश्त मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नही होगा।

4. पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य आयुष सोसायटी समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।
5. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृध्दि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है। नियमित भर्ती किये जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जावेंगे। भारत सरकार द्वारा प्रदायित स्वीकृति के आधार पर ही संविदा सेवा अवधि में वृध्दि की कार्यवाही की जावेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।
7. संविदा भर्ती के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आरक्षण नियम एवं समय-समय पर जारी अन्य निर्देश/आदेश/नियम यथा संशोधित लागू होंगे।
8. संविदा भर्ती हेतु अन्य शर्ते एवं नियम छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी मानव संसाधन नीति 2019 के अनुसार लागू होंगे।
9. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (टीपः- स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे)
10. उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
11. विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।
12. दिव्यांग पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में नियुमानुसार पूर्ति की जावेगी।
13. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।
14. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि अभ्यर्थी द्वारा चयन हेतु किसी भी प्रकार का दबाव डाला जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा

तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।

15. राज्य अधिनस्थ संस्था एवं जिला में पदस्थापना के दौरान संविदा नियुक्ति अधिकारी/कर्मचारी की संविदा शर्तो के तहत नियंत्रणकर्ता के साथ अनुबंध करना होगा।
16. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशानहीनता/वित्तीय अनियमितता /अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय आयुष मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गई है चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो उन्हे अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जावेगा।
17. भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार सदस्य सचिव कार्यकारी समिति राज्य आयुष सोसायटी एवं संचालक आयुष छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी अभ्यर्थियों को मान्य होगा।
18. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। अनुभव प्रमाण पत्र आवेदित पद के समकक्ष कार्य का होना अनिवार्य होगा।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-

1. साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की सूची तथा स्थान की जानकारी समय-समय पर केवल विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नही दी जावेगी।
2. आवश्यकतानुसार कौशल परीक्षा/साक्षात्कार राज्य कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष द्वारा चिन्हांकित स्थल में ली जावेगी, जिसमें शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा/अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।
3. नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. में प्रेषित की जावेगी। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में अपना मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. स्पष्ट रूप से अंकित करें।
4. सदस्य सचिव कार्यकारी समिति राज्य आयुष सोसायटी एवं संचालक आयुष को राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यकतानुसार वृध्दि/कम करने अथवा चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Digitally signed by
RAJENDRA KUMAR KATARA
Date: 20-07-2026
17:35:48

सदस्य सचिव
कार्यकारी समिति
राज्य आयुष सोसायटी एवं
संचालक आयुष (छत्तीसगढ़)